कार्यालय कलेक्टर एवं रिटर्निंग ऑफिसर,
लोक सभा क्षेत्र क्रमांक–29, बैतूल (अ.ज.जा.)

क्रमांक– 1962 /निर्वा./2024 बैतूल, दिनांक 09/04 /2024

मतदान स्थगन की घोषणा
(लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 52 अंतर्गत)

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक–29 बैतूल (अ.ज.जा.) से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दल बहुजन समाज पार्टी के निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री अशोक भलावी, निवासी गोन्डी मोहल्ला सोहागपुर, तहसील व जिला बैतूल (म.प्र.) की आज दिनांक 09.04.2024 को मृत्यु हो जाने से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 52 के प्रावधान अनुसार लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 29 बैतूल (अ.ज.जा.) के मतदान दिनांक 26.04.2024 को आगामी आदेश अर्थात उस तारीख तक जो बाद मे अधिसूचित की जाएगी, स्थगित किया जाता है।

भारत निर्वाचन आयोग से समुचित निर्देश प्राप्त होने पर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 29 बैतूल (अ.ज.जा.) की निर्वाचन प्रक्रिया की आगामी कार्यवाही से सूचित किया जायेगा।

(नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी)
कलेक्टर एवं रिटर्निंग ऑफिसर
लोकसभा क्षेत्र–29 बैतूल (अजजा)

पृ. क्रमांक– 1963 /निर्वा./2024 बैतूल,दिनांक 09/04/2024

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म.प्र. भोपाल।
2. आयुक्त नर्मदापुरम संभाग नर्मदापुरम (म.प्र.)।
3. प्रेक्षक सामान्य/व्यय/पुलिस लोकसभा क्षेत्र–29 बैतूल।
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हरदा एवं खण्डवा (म.प्र.)।
5. पुलिस अधीक्षक बैतूल, हरदा एवं खण्डवा (म.प्र.)।
6. सहायक रिटर्निंग अधिकारी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक– 129–मुलताई, 130–आमला,131–बैतूल, 132–घोड़ाडोंगरी, 133–भैंसदेही 134–हरदा, 135–टिमरनी, 176–हरसूद।
7. उपसंचालक जनसंपर्क बैतूल, हरदा एवं खण्डवा।
8. जिला अध्यक्ष मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दल समस्त .... जिला बैतूल (म.प्र.)।
9. अभ्यर्थी श्री .... दल सम्बद्धता ....लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक–29 बैतूल (अ.ज.जा.)।

कलेक्टर एवं रिटर्निंग ऑफिसर
लोकसभा क्षेत्र–29 बैतूल (अजजा)